

क,

डा० रणबीर सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

॥ में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

ग्राम एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-।

देहरादून दिनांक ३ सितम्बर, २००८

विषय:- आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये घरेलू गैस सिलेण्डरों के सम्बन्ध में धारा ६६ की कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों काफी समय से बिना किसी कार्यवाही के रखे गये हैं जो कि अनुचित ही नहीं अपितु खतरनाक भी है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जब्त घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-६६ के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए इनका निस्तारण तत्काल करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
सचिव।

संख्या ८७९ (१)/०८-११/२५/सी०एम० खाद्य/२००८ तददिनांक

प्रतिलिपी-(१) आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(२) समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड ।

आज्ञा से,

(डा० रणबीर सिंह)
सचिव।

डा० रणबीर सिंह
२१७
०५-९-०८

डा० रणबीर सिंह
२१७
०५-९-०८